इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2012—पौष 30, शक 1933

## सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. एफ 1-02-2012-छब्बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत एवं समाज कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची चार में, अनुक्रमांक 12 और 13 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :—

विभाग	उस पद का	उस पद	पदोन्नति	विभागीय पदोन्नति समिति	पदोन्नति	अभ्युक्तियां
का नाम	नाम जिससे	का नाम	के लिए	के सदस्यों के नाम	की प्रक्रिया	
	पदोन्नति की	जिस पर	न्यूनतम			
	जानी है	पदोन्नति	सेवा			
		की जानी है	कालावधि			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पंचायत	12. प्रशिक्षक/	अधीक्षक,	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके	वरिष्ठता-	
एवं	निर्देशक/वार्डन	मानसिक		द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य— <b>अध्यक्ष</b>	सह	
समाज	(उच्च	रूप से			उपयुक्तता.	
कल्याण	वेतनमान)/फोटो	अविकसित		2. सचिव, सामाजिक न्याय— <b>सदस्य</b>		
विभाग.	कला शिक्षक.	बच्चों का				
		गृह.		3. आयुक्त/संचालक सामाजिक, न्याय <b>—सदस्य</b>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पंचायत ` एवं समाज	13. आक्युपेशनल थेरैपिस्ट/ फिजियोथेरैपिस्ट.	अधीक्षक, विकलांग बाधितार्थ	5 वर्ष	<ol> <li>लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष</li> </ol>	वरिष्ठता- सह उपयुक्तता.	
कल्याण विभाग.		बालगृह.		2. सचिव, सामाजिक न्याय— <b>सदस्य</b>	Ç	
				3. आयुक्त/संचालक सामाजिक, न्याय <b>-सदस्य</b>		

F-1-02-2012-XXVI-1.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Panchayat and Social Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely:—

#### **AMENDMENT**

In the said rules, in schedule IV, for serial numbers 12 and 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—-

Name of Depart- ment	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Minimum service period for Promotion			Proce- dure of Promotion	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
Panchayat and social welfare Departmen	12. Instructor/ Nirdeshak Warden t. (Higher Pay Scale)/Photo Graphy Teacher.		5 years		Chairman of Public Service Commission or Member nominated by him. Secretary Social Justice—Member Commissioner/Director Social Justice—Member.	Seniority -cum Merit.	
	13. Occupation Therapist Physio Therapist.	Superintendent Handicapped Children Home.	5 years		Chairman of Public Service Commission or Member nominated by him. Secretary Social Justice—Member Commissioner/Director Social Justice—Member.	Seniority -cum Merit.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीणा तैलंग, उपसचिव.